तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम जो हुक्म में ज...
6-12-21	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर आदेश दिया जाता है। वादीगण के वाद पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि तहसील चिड़ावा में जमीन ख० नं० 1009 तादादी 1.49 है०, ख० नं० 962 तादादी 2.50 है० कुल किता-2 रकबा 3.99 है० वाके ग्राम सुलताना स्थित है। जो जमीन पुराना ख० नं० 237 मी० व पुराना ख० नं० 947 वाके ग्राम सुलताना से बनी है। यह कि जमीन वाद वर्णित का खातेदार काश्तकार पहले वादीगण प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 के पिता व पति स्व० नत्थू पुत्र अलीबक्स था काबिज था इस जमीन जेर बहस वर्णित धारा-1 वाद पत्र की पत्रावली स्थिति को भली भांति समझने के लिए वाद पत्र की धारा-2 में दी गई है। इस जमीन के खातेदार स्व० नत्थू की दिनांक 7.2.2007 को मृत्यु हो गई। स्व० नत्थू की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी श्रीमति असली प्रतिवादी नं० 3 उसके दो पुत्र प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2 व चार पुत्रिया वादीगण, प्रतिवादी नम्बर 4 व प्रतिवादीगण नं० 5 लगायत 11 की मां मु० मुन्नी उसके वारिसान है। प्रतिवादी नम्बर 12 मु० मुन्नी का पति है। स्व० नत्थू की उक्त अनुसार मृत्यु होने के बाद इस जमीन के खातेदार काश्तकार उसके उक्त वारीसान वादीगण प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 व स्व० नत्थू की मृतक पुत्री मु० मुन्नी हुए व काबिज हुए तथा इस जमीन में वादीगण प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 व उक्त मुन्नी का प्रत्येक का 1/7 हिस्सा शामिल में रहा। मु० मुन्नी का देहान्त हो जाने पर इस जमीन में जेर बहस में मुन्नी के 1/7 हिस्से की जमीन उसके वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 5 लगायत-12 को प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस जमीन जेर बहस वर्णित धारा-1 वाद पत्र के वादीगण प्रत्येक 1/7 हिस्से प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 प्रत्येक 1/7 हिस्से व उक्त नत्थू की पुत्री मु० मुन्नी के वारिसान प्रति-वादीगण नं० 5 लगायत 12 शेष 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार है व काबिज है। इस प्रकार जमीन जेर बहस वर्णित धारा-1 वाद पत्र वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 12 की कोहीनन्सी की भूमि है। इस जमीन का वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 12 के बीच कभी विभाजन नहीं हुआ तथा वादीगण	

उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2022.06.27 16:08:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।

व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 12 इस जमीन को शामील मे ही आपसी सहुलियत से काश्त करते है व काबिज है। कोटीनेन्सी की भूमि मे हर एक कोटीनेन्ट का कब्जा कोटीनेन्सी की हर ईंच पर माना जाता है तथा एक कोटीनेन्ट का कब्जा होना सभी कोटीनेन्ट का कब्जा होना भी माना जाता है परन्तु उक्त नत्थू की मृत्यु के बाद राजकीय कर्मचारियो व अधिकारियों की गलती से इस जमीन जेर बहस वर्णित धारा-1 वाद पत्र का नामान्तरकरण संख्या 1257 अकेले उक्त नत्थू के दो पुत्रगण प्रतिवादीगण नम्बर 1,2 व वादीगण की मां प्रतिवादी नं० 3 श्रीमती आसती के नाम से गलत दर्ज किया जाकर गलत तसदीक हुआ जिसके फलस्वरूप इस जमीन का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि भी अकेले प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 के नाम से गलत बना। कानून से प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 का प्रत्येक का 1/7 हिस्सा विवादित जमीन वर्णित धारा-1 वाद पत्र मे है परन्तु प्रतिवादी नम्बर 1 ने प्रतिवादी नम्बर-3 से साजिस करके उक्त अनुसार इस जमीन जेर बहस के गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर इस जमीन मे प्रतिवादी नम्बर 3 का गलत रूप से 1/3 हिस्सा बतलाकर प्रतिवादी नम्बर 3 की ओर से दिनांक 15-5-2013 को प्रतिवादी नम्बर 1 के हक मे एक साजसी हक त्याग पत्र करवाकर उप पंजीयक चिड़ावा से पंजीकृत करवा लिया। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त हक त्याग पत्र मे प्रतिवादी नम्बर 1 की पत्नी श्रीमती शकिया को साक्षी रखा गया है। तथाकथित हक त्याग पत्र मे प्रतिवादी नम्बर-3 का विवादित भूमि मे 1/3 हिस्सा दर्शाते हुए इसका हक त्याग किया जाना बताया गया है जबकि प्रतिवादी नम्बर-3 का विवादित जमीन मे 1/7 हिस्सा है। कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति अपने हक अधिकार से अधिक किसी सम्पत्ति का किसी अन्य के हक मे किसी प्रकार से अन्तरित [illegible] अत: दावा पेश कर [illegible] है कि [illegible] फरमाई जावे कि जमीन ख० [illegible] व ख०नं० 962 तादादी [illegible] 49 है० 3.99 है० वाके ग्राम [illegible] नम्बर 1 लगायत 4 का प्रत्येक 1/7 हिस्सा [illegible] प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण

उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2022.06.27 16:08:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	नम्बर 5 लगायत 12 का 1/7 हिस्सा है। इसके विपरीत इस जमीन का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि एव इन्तिकालात नल एण्ड वोईड होने से वादीगण के हक अधिकारों के विपरीत शून्य व निष्प्रभावी है जिसे दुरुस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे। प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर आदेश फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 विवादित भूमि के वादीगण के उपयोग-उपभोग मे कोई बाधा नहीं डाले, इस जमीन को किसी के हक मे रहन बय व अन्तरित नहीं करे व इस जमीन को किसी प्रकार से किस्म परिवर्तित नहीं करे व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे दस्तावेज प्रदर्श-1 लगायत प्रदर्श-11 पेश किये। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात से वादीगण का वादपत्र साबित होता है। वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि जमीन ख० नं० 1008 रकबा 1.49 है०, ख०नं० 962 रकबा 2.50 है० कुल किता-2 कुल रकबा 3.99 है० वाके ग्राम सुलताना मे वादीगण, व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत-4 को प्रत्येक को 1/7 हिस्सा व प्रतिवादीगण नम्बर-5 लगायत 12 को 1/7 हिस्से का खातेदार-काश्तकार घोषित किया जाता है। इसके विपरीत इस जमीन का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि एव इन्तिकालात नल एण्ड वोईड होने से वादीगण के हक अधिकारों के विपरीत शून्य व निष्प्रभावी घोषित की जाती है। जिसे दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 विवादित भूमि मे वादीगण के [illegible] कोई बाधा नहीं डाले, रहन, बय नहीं करे [illegible] रिकार्ड की यथास्थिति बनाये [illegible] को आदेश दिये जाते है कि वादीगण [illegible] होने पर ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखील दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2022.06.27 16:08:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner